झारखण्ड सरकार

ऊर्जा विभाग

झारखण्ड रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी (ज्रेडा)

तृतीय तल्ला, एस0एल0डी0सी0 भवन, कुसई कॉलोनी, डोरंडा, रॉची–834002
फोन संख्या–0651–2491161, फैक्स संख्या–0651.2491165, **email: info@jreda.com**

आम सूचना

बायोगैस निर्माण कराने हेतु आवेदन

सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि **झारखण्ड रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी (ज्रेडा)** द्वारा झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम अन्तर्गत 300 अदद् (2, 4 एवं 6 घनमीटर क्षमता के) दीनबंधु/के0भी0आई0सी0 मॉडल बायोगैस संयंत्र का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

बायोगैस संयंत्र का लाभः– बायोगैस संयंत्र से निकले गैस का उपयोग खाना बनाने तथा रोशनी की व्यवस्था हेतु की जा सकती है। गैस से खाना बनाते समय बर्तन काला नहीं होता है, जिससे महिलाओं को बर्तन धोने में कम कठिनाई होती है। रसोईघर में धुआँ नहीं होने से महिलायें बीमारी से बचती हैं।

बायोगैस निर्माण की शर्त्तः–

1. 2 घनमीटर क्षमता के बायोगैस संयंत्र हेतु इच्छुक व्यक्ति पास कम से कम 5 (पॉच) वयस्क मवेशी हो या 50 किलो गोबर प्रतिदिन उपलब्ध हो तथा लाभार्थी अंशदान की राशि व्यय करने में सक्षम हो, साथ ही संयंत्र में प्रतिदिन गोबर एवं पानी का मिश्रण भरने के इच्छुक हो। साथ ही 4 एवं 6 घनमीटर क्षमता के संयंत्र हेतु उसी अनुपात में वयस्क मवेशी एवं प्रतिदिन गोबर होना आवश्यक है।
2. बायोगैस संयंत्र के निर्माण पर ज्रेडा द्वारा दिये जानेवाले अनुदान की विवरणी निम्नवत् हैः–

बायोगैस की क्षमता	अनुमानित लागत (रु0 में)	केन्द्रांश (रु0 में)	राज्यांश (रु0 में)	लाभुक अंशदान (रु0 में)
$2M^3$	18000/-	9000/-	----------	9000/-
$4M^3$	28000/-	9000/-	7000/-	12000/-
$6M^3$	36000/-	9000/-	15000/-	12000/-

इच्छुक व्यक्ति बायोगैस संयंत्र निर्माण हेतु आवेदन पहचान पत्र (निर्वाचन पहचान पत्र/आधार कार्ड की छायाप्रति) के साथ सीधे ज्रेडा कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

ह0/–
निदेशक,
ज्रेडा, रॉची।